राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2594/2007

श्याम प्रसाद —**अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, कोटा।
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीम मण्डी, कोटा।
4. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—**प्रत्यर्थीगण**

आदेश की दिनांक : 07.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी. एल शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.09.1996 से 6500—10500 की पे—स्केल प्रदान की गई थी। इसके पश्चात आलौच्य आदेश दिनांक 03.10.2001 से अपीलार्थी की पे—स्केल कम करते हुए 5500—9000 की गई है एवं यह भी आदेश दिया गया है कि अधिक भुगतान की राशि वसुल की जाये।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से पत्र दिनांक 04.06.2010 से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया गया है कि अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस निर्णय के समरूप सभी प्रकरणों में उन अध्यापकों को जिनका कोई न्यायिक प्रकरण नहीं है एवं जो दिनांक 01.07.1998 से पूर्व चयनित वेतनमान के रूप में वेतनमान (6500—10500) में वेतन प्राप्त कर रहे थे, को उक्त चयनित वेतनमान का परिलाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 के नियम 6 के नीचे अंकित टिप्पणी के अनुसार व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में प्राप्त होगा।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर जारी उक्त दिशा—निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वो उपरोक्त पत्र दिनांक 04.06.2010 के अनुसार अपीलार्थी को लाभ प्रदान करेंगे।
4. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)